न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/30/2025	2025/87	11.02.2025	04.06.2025

1– सुरेश पुत्र नरेश जाति अहीर निवासी ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार किशनगढबास किस्म 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 61/2021 निर्णय दिनाक 15.02.2021

उपस्थित–

01. श्री सजय यादव —वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 61/2021 निर्णय दिनांक 15.02.2021 जिसके द्वारा आराजी खसरा 318 रकबा 3.98 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.38 है0 में अवैध अतिक्रमण कर जौ की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बेदखली/फसल नीलामी/पैलन्टी/तीन माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का नयागांव ने तहत अदालत में एक रिपोर्ट दिनाक 05.02.2021 को मिन अपीलान्ट के विरूद्व इस आश्य की पेश की गयी की आराजी खसरा न0 318 रकबा 3.98 है0 में से रकबा 0.38 है0 पर अवैध रूप से कब्जा कर जौ की फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिस पर तहत अदालत नायब तहसीलदार किशनगढबास ने प्रकरण संख्या 61/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ आलोच्य निर्णय दिनाक 15.02.2021 से निस्तारित किया जाकर अपीलान्ट को धारा 91(1) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने आराजी मुतनाजा को कब्जे राज लेकर नाजायज फसल को कुर्क कर नीलामी कार्याही किये जाने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुऐ तीन माह के सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड 60 रूपये से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरूद्व व बेजा तरीके पर पारित किये गये है। प्रकरण में वर्णित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई अनाधिकृत कब्जा नही है, उक्त आराजी मिन अपीलान्ट की खातेदारी आराजी से लगती हुई आराजी है, पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये ही धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। जिस पर तहत अदालत के द्वारा बिना जॉच किये ही मिन अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। जो विधिक प्रावधानो के विरूद्व है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है, न ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली में है। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट

जिला कलक्टर

को ही आधार मानकर कार्यवाही की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.2021 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई अनाधिकृत कब्जा नही है, आराजी मिन अपीलान्ट की खातेदारी आराजी से लगती हुई आराजी है, पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये ही धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। जिस पर तहत अदालत के द्वारा बिना जॉच किये ही मिन अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 318 रकबा 3.98 है0 किस्म चारागाह सम्वत 2077 में अतिक्रमी सुरेश पुत्र नरेश जाति अहीर साकिन देह के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 28.01.2021 को एक रिपोर्ट धारा अन्तर्गत 91 एल.आर. एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। पेश रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दिनाक 09.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया, पत्रावली दिनाक 12.02.2021 को नियत की गयी। जारी नोटिस की तामील होकर शामिल मिसल हुई अतिक्रमी नियत तिथि को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित नही हुआ, तहत अदालत द्वारा पुनः अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी नियत तिथि को भी उपस्थित नही होने पर दिनाक 15.02.2021 को निस्तारित की गयी है। प्रकरण में वर्णित आराजी के बाबत तहत अदालत से मौका रिपोर्ट तलब की गयी मौका रिपोर्ट जर्ये पत्राक 193 दिनाक 27.03.2025 के द्वारा प्राप्त होकर शामिल मिसल हुई। मुताबिक रिपोट के आराजी खसरा न0 318 मौके पर खाली पडा है। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व फसल नही है। अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुआ है, अपीलान्ट द्वारा आक्षेप किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा मौके की पैमायश नही की गयी है, जो उचित प्रतीत नही होता है, क्योकि काश्तकार को केवल स्वयं की खातेदारी पैमायश कराये जाने का प्रावधान है, पस्तुत पत्रावली में अतिक्रमी द्वारा अपनी आराजी की पैमायश हेतु तहत अदालत के समक्ष आवेदन पेश किया गया है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण मे वर्णित आराजी की किस्म चारागाह है। जो धारा के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण किए जाने का अधिकार नहीं है। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत नायब तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)
(राजस्थान)